न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 24 / 2018

1 सुभाषचन्द्र मील पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 केदारमल पुत्र गुटाराम।
2 सन्तोष देवी पत्नी केदारमल।
3 रामनिवास पुत्र शिवबक्साराम समस्त जाति जाट निवासीगण मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र अन्तर्गत कोर्ट ऑफ कन्टेपट आदेश 39
नियम 2क सीपीसी।

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 1-2-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2012 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय में एक अपील बउनवान सुभाष बनाम खुशीराम वगैरह विचाराधीन है। जिसके नम्बर 59/2012,60/2012 है। जिसमें इस न्यायालय का दिनांक 22.02.2012 से स्थगन आदेश कृषि भूमि खसरा नम्बर 86,407,409,410,411,412 है जो ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें इस न्यायालय के द्वारा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेंट को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है जिसमें तारिख पेशी दिनांक 18.06.20 निर्धारित है तथा दिनांक 15.06.2018 को न्यायालय का स्थगन प्रभावी चल रहा है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट केदारमल जो आदेश से प्रतिबंधित है। जिसकी तामील हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी प्रार्थी संख्या 1 की विधिक पत्नी है जिसको उक्त कृषि भूमि पर चल रहे वाद विवाद व स्थगन आदेश की जानकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 जो प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के पड़ौसी खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 3 को भी न्यायालय के स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी होते हुए भी सन् 2010 से पड़त पड़ी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि के 1/5 हिस्से को दिनांक 15.06.2018 समय करीब 5.30 बजे सांयकाल प्रार्थी की कृषि भूमि पर अपना स्वंय का ट्रेक्टर लेकर उक्त कृषि भूमि पर बा–जोत करने लग गया। प्रार्थी द्वारा मना करने पर प्रार्थी को जाने से मारने की कोशिश की गयी जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दी गई है। उक्त कृषि भूमि पर विचारण न्यायालय का स्थगन आदेश की प्रार्थी द्वारा जानकारी देने तथा आदेश दिखाने के बावजूद जबरन वाद विवाद में पड़त पड़ी भूमि सन् 2010 से जिसमें जबरन ट्रेक्टर से बा–जोत कर दी गयी। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी है। अत आवेदन स्वीकार कर दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। अवमानना आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर बा–जोत, निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर